भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3496
(सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण तंत्र

3496. श्री जिया उर रहमानः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कारपोरेट क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों और विशेषकर व्यापार करने में सुगमता, विनियामक अनुपालन बोझ, कारपोरेट प्रशासन के मुद्दों, दिवाला समाधान में विलंब, स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए पूंजी तक पहुंच और पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा व्यापार-अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): भारत सरकार व्यवसाय करने में सुगमता, विनियामक अनुपालन को इष्टतम बनाने, समग्र पारदर्शिता के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी मुद्दों का समाधान करने, स्टार्ट-अप और एमएसएमई को पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करने, दिवाला समाधान में विलंब को कम करने तथा पारदर्शिता एवं निवेशक संरक्षण को सुदृढ़ करने की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। इस संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:

<u>कारपोरेट गवर्नेंस</u>

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 [सीए-13 या अधिनियम] के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों में कंपनियों के प्रबंधन में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। इन प्रावधानों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, पंजीकृत कार्यालयों में लेखा बहियों और सांविधिक रजिस्टरों का रख-रखाव, लागू वित्तीय रिपोर्टिंग/लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना और विधिवत अनुमोदन के बाद रजिस्ट्रार के पास उन्हें फ़ाइल करना अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जानी अपेक्षित है। जोखिम प्रबंधन, कंपनी के मामलों की स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तनों जैसे महत्वपूर्ण मानदंडों को बोर्ड की रिपोर्ट में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। कंपनी रजिस्ट्रार उन चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है जो अधिनियम की धारा 92, 96, 99, 137 के तहत अभियोजन फ़ाइल करके या कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 248 (1) के तहत कंपनियों के नाम को हटाकर अपनी वार्षिक विवरणी और/या वित्तीय विवरण फ़ाइल करने में विफल रहती हैं।

(ii) अधिनियम में प्रदत्त पूंजी या टर्नओवर या ऋण के संबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं को पूरा करने वाली सूचीबद्ध और सार्वजनिक कंपनियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करें और बोर्ड की विभिन्न समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंधि समिति आदि का गठन करें।

<u>व्यापार में सुगमता और अनुपालन बोझ को कम करना</u>

(iii) 2015 और 2017 में अधिनियम में किए गए संशोधनों का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को सुविधाजनक बनाना था। प्रमुख परिवर्तनों में न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी की आवश्यकता को हटाना, सामान्य मुहर को वैकल्पिक बनाना, वार्षिक आधार पर संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन देने के लिए लेखा परीक्षा समिति को सशक्त बनाना और कंपनियों को अपने लेनदारों को छूट पर शेयर जारी करने की अनुमति देना शामिल है जब इसका ऋण कुछ मामलों में शेयरों में परिवर्तित हो जाता है।

(iv) वर्ष 2019 और 2020 में सीए-13 और वर्ष 2021 में एलएलपी अधिनियम, 2008 में 63 अपराधों को गैर-अपराधीकरण करने के लिये संशोधन किये गये। कारपोरेटों को राहत प्रदान करते समय, गैर-अपराधीकरण का एक उद्देश्य न्यायिक न्यायालयों में मुकदमेबाजी के भार को कम करना और अभियोजन मामलों को न्यायनिर्णयन के लिए अंतरित करना भी रहा है।

(v) निजी कंपनियों, सरकारी कंपनियों, धर्मार्थ कंपनियों, निधि और आईएफएससी (गिफ्ट सिटी) कंपनियों को कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से छूट 2015, 2017 और 2020 के दौरान सीए -13 की धारा 462 के तहत अधिसूचना जारी करने के माध्यम से प्रदान की गई है।

(vi) न्यूनतम चुकता पूंजी की आवश्यकता, अर्थात एक निजी कंपनी के लिए 1 लाख रुपये और एक सार्वजनिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपये, को समाप्त कर दिया गया है।

(vii) अन्य स्टार्टअप और छोटी कंपनियों के साथ स्टार्टअप्स के विलय को कवर करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय की फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का विस्तार, ताकि ऐसी कंपनियों के लिए विलय और समामेलन की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। अब इस प्रक्रिया का लाभ उन मामलों में भी उठाया जा सकता है जहां भारत के बाहर निगमित होल्डिंग कंपनी का भारत में निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ विलय किया जाना है।

(viii) एकल व्यक्ति कंपनियों, छोटी कंपनियों, स्टार्टअप और निर्माता कंपनियों के लिए कम शास्ति के लिए नई धारा 446ख।

(ix) गैर-परिवर्तनीय ऋण लिखतों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने वाली निजी कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनियां नहीं माना जाएगा ताकि कारपोरेट बांड बाजार का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(x) निर्माता कंपनियों से संबंधित प्रावधान (कंपनी अधिनियम, 1956 का पूर्व भाग IXक) कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल किया गया।

(xi) केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) भारत में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कंपनी और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) निगमन की प्रक्रिया में तेजी लाने और सुव्यवस्थित करने की एक पहल है।

(xii) सी-पेस(त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र) (सी-पेस) को कंपनियों के स्वैच्छिक समापन से संबंधित मामलों के केंद्रीकृत और पारदर्शी प्रसंस्करण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242(2) के तहत 1.05.2023 से चालू किया गया था। यह

एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो उद्यमियों को बाहर निकलने में आसानी प्रदान करता है जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में उतना ही महत्वपूर्ण कारक है जितना कि व्यापार करने में आसानी है।

(xiii)केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत क्षेत्राधिकार आरओसी के साथ पहले फ़ाइल किए गए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ई-प्ररूपों के तेजी से और केंद्रीकृत संचालन के लिए 16.02.2024 से चालू किया गया था।

(xiv)वार्षिक अनुपालन को सुव्यवस्थित करना: छोटी कंपनियों और एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) के लिये वार्षिक रिटर्न के संक्षिप्त और संक्षिप्त संस्करण पेश किए गए हैं।

(xv) फेसलेस और इलेक्ट्रॉनिक एडजुडिकेशन मैकेनिज्म कारपोरेट डिफॉल्ट मामलों के लिए वास्तविक सुनवाई को समाप्त करने के लिए फेसलेस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म में परिवर्तन शुरू कर दिया गया है। इस प्रक्रिया ने निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन वीसी के माध्यम से निर्णय की कार्यवाही में भाग लेना आसान बना दिया है।

<u>निवेशक संरक्षण</u>

(xvi)शेयरधारक संघों/शेयरधारकों के समूह को विवरणिका में गलत बयानों से संबंधित कार्यों के मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया गया/कंपनी में धन निवेश करने के लिए व्यक्तियों को धोखाधड़ी से प्रेरित किया गया।

(xvii) 7 वर्ष की मौजूदा सीमा से परे दावा न किए गए लाभांश आदि पर निवेशक के दावे का संरक्षण। इस तरह की राशि का दावा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के माध्यम से 7 वर्ष बाद भी किया जा सकता है।

(xviii)आईईपीएफ खाते का उपयोग दावा न किए गए लाभांश आवेदन की वापसी के लिए किया जाएगा, निवेशकों की वापसी और प्रचार, शिक्षा, जागरूकता आदि के लिए देय धन का उपयोग आईईपीएफ खातों का उपयोग पहचान योग्य पीड़ितों को अस्वीकृत राशि के पुनर्वितरण के लिए भी किया जाएगा।

(xix) अधिनियम किसी कंपनी के सदस्यों और जमाकर्ताओं को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष क्लास एक्शन सूट शुरू करने का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान उन्हें कंपनी, उसके निदेशकों, लेखा परीक्षकों, विशेषज्ञों, सलाहकारों

या सलाहकारों के खिलाफ कंपनी, उसके सदस्यों या जमाकर्ताओं के हितों के लिए गैरकानूनी या धोखाधड़ी आचरण के लिए सामूहिक रूप से कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

<u>त्वरित समाधान प्रक्रिया</u>

(xx)सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) में छह विधायी संशोधन किए हैं और दिवाला समाधान ढांचे को मजबूत करने और प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना के बाद से नियमों में 100 से अधिक बदलाव किए हैं। आईबीसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत रिक्तियों को भरना, ई-न्यायालय और हाइब्रिड न्यायालय परियोजना का कार्यान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए नियमित संगोष्ठियां, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान आदि शामिल हैं।

(xxi)इसके अतिरिक्त, आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के स्तंभ बनाने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एनसीएलटी, एनसीएलएटी, आईबीबीआई, सूचना उपयोगिता और एमसीए को एकीकृत करने के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच की परिकल्पना की गई है जो व्यापार में सुगमता को बढ़ाएगा।

<u>स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए पूंजी तक पहुंच</u>

(xxii)एमएसएमई का समर्थन करने के लिए शुरू की गई योजनाओं, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना, एमएसएमई चैंपियंस योजना, टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर एंड टीआई), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना, में शामिल हैं।

(xxiii)स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी योजनाओं के तहत स्टार्टअप्स को उनके बिजनेस साइकल के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया है और भारतीय

लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से संचालित किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है जो बदले में स्टार्टअप में निवेश करते हैं। एफएफएस के तहत समर्थित एआईएफ को स्टार्टअप में एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना निवेश करना आवश्यक है। एसआईएसएफ़एस इन्क्यूबेटरों के माध्यम से सीड स्टेज स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को संपार्श्विक मुक्त ऋण सक्षम बनाने के लिए लागू किया गया है। सीजीएसएस का संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और इसे 1 अप्रैल 2023 से चालू किया गया है।

******